2 pages — ORIGINAL

476

1/280/2017

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0--2-31
क्रमांक–280/2017
सं0 ई/558/2/भाग–I/IV

दिनॉक25–01–2018

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः–क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूलों के पाठ्यक्रमों में राजभाषा विषय सम्मिलित करना।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 हिन्दी–2017/रा0भा0 I/12/1 दिनांक 27.12.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(आर0के0पाण्डेय)
सकाधि/मुख्या0–II
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
6– मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं. हिंदी- 2017/रा.भा.1/12/1 दिनांक :27/12/2017

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

विषयः क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूलों के पाठ्यक्रमों में राजभाषा विषय सम्मिलित करना.
संदर्भः- बोर्ड का 3/6-11-1982 का पत्र सं. हिंदी-82/राभा1/12/5

विभिन्न रेल कार्यालयों में हिंदी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी रेल कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और राजभाषा नियमों की जानकारी होनी चाहिए. अब चूंकि श्रेणी 'घ' के कर्मचारी श्रेणी 'ग' में आ गए हैं, अतः यह आवश्यक है कि अन्य श्रेणी 'ग' कर्मचारियों की तरह इनके पाठ्यक्रम में भी राजभाषा विषय को शामिल किया जाए.

उपरोक्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विनिश्चय किया गया है कि रेलों के क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूलों के श्रेणी 'ग' कर्मचारियों (श्रेणी 'घ' से श्रेणी 'ग' में आए कर्मचारियों सहित) के लिए उन पाठ्यक्रमों में जिनकी अवधि 2 सप्ताह से अधिक हो, राजभाषा संबंधी विषय शामिल किया जाए जिसमें निम्नलिखित सामग्री शामिल की जाएः-

(i) राजभाषा के संबंध में सांविधानिक उपबंध.
(ii) संघ की राजभाषा नीति.
(iii) राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम 1976.
(iv) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम.
(v) राजभाषा के प्रयोग-प्रसार के लिए लागू विभिन्न पुरस्कारों/प्रोत्साहन योजनाएं.

उपर्युक्त पाठ्यक्रम के लिए पांच सत्र निर्धारित किए जा सकते हैं.

कृपया इस संबंध में शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई करें तथा अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूलों को आवश्यक अनुदेश जारी करें.

कृपया पावती दें.

महेंद्र कुमार गुप्ता
निदेशक, स्था. (जन शक्ति योजना)
रेलवे बोर्ड .